<u>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 03-08-2026
सेशन प्रकरण संख्या:25/2021
सी.आई.एस नंबर 46/2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-236/2020 थाना रामगढ
अंतर्गत धारा- 306, 506 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.
अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।
श्री हेमराज गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. महमूद पुत्र सुमरदीन,
2. अंजुम उर्फ इंजुम पुत्र सुमरदीन,
3. सुमरदीन पुत्र सुबराती उर्फ सुन्ना,
निवासीगण-बालोत नगर रामगढ, पुलिस थाना रामगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

उपस्थितिः-
श्री अशोक शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	24-06-2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	24-06-2020
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	10-09-2020
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	05-05-2022 व 18-07-2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	05-05-2022

निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	03.08.2026
निर्णय की तिथि	03-08-2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षीका क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	अनिल	परिवादी/ताईद एफ.आई.आर.
पी डब्ल्यू 2	पंकज कुमार	पंचायत नामा लाश, फर्द जब्ती, नक्शामौका
पी डब्ल्यू 3	प्रमोद कुमार	पंचायत नामा
पी डब्ल्यू 4	जगमोहन शर्मा	पंचायत नामा लाश
पी डब्ल्यू 5	डॉ० निशांत शर्मा	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी डब्ल्यू 6	हेतराम	पंचायत नामा लाश
पी डब्ल्यू 7	आस मौहम्मद	अभियुक्त सुमरदीन की तस्दीक सकुनत
पी डब्ल्यू 8	लालचन्द	बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी डब्ल्यू 9	विरेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी डब्ल्यू 10	मंजू	प्रकरण की नाबालिग पीडिता के पुलिस बयान की ताईद
पी डब्ल्यू 11	भरत सिंह	बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी डब्ल्यू 12	मनमोहन सिंह	जब्तशुदा माल एफ.एस.एल. में जमा करवाना
पी डब्ल्यू 13	डॉ० दीपक कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पी डब्ल्यू 14	कोमल	बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी डब्ल्यू 15	धनसिंह	मालखाना इंचार्ज
पी डब्ल्यू 16	रामनिवास	चार्जशीट प्रस्तुत करना

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	निल	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क.अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजात की संख्या	दस्तावेजो की प्रकृति
1	प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–02	एफआईआर 0236/2020 थाना रामगढ़
3	प्रदर्श पी–03	फर्द जब्ती एक प्लास्टिक की बरंग आसमानी रस्सी मृतक श्रवणलाल के गले में बंधी हुई
4	प्रदर्श पी–04	फर्द जब्ती दो हवाई चप्पल मृतक श्रवणलाल
5	प्रदर्श पी–05	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका घटनास्थल
6	प्रदर्श पी–06	फर्द पंचायतनामा मृतक श्रवणलाल
7	प्रदर्श पी–07 प्रदर्श पी –07	रसीद सुपूर्दगी लाश मृतक श्रवणलाल बयान 161 सीआरपीसी भरत सिंह
8	प्रदर्श पी–08	फर्द जब्ती श्रवणलाल
9	प्रदर्श पी–09	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक श्रवणलाल
10	प्रदर्श पी–10	एफएसएल रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी–11	Requisition for Post Mortem Autopsy
12	प्रदर्श पी–12	हुकमनामा वास्ते श्री आसमौहम्मद कानि. 1817
13	प्रदर्श पी–13, 14	बयान 161 सीआरपीसी प्रियंका, भावना
14	प्रदर्श पी–16	Acknowledgment Receipt
15	प्रदर्श पी–18	फर्द जब्ती 03 जार व एक शीशी मार्का ए,बी,सी,डी
16	प्रदर्श पी–19	फर्द जब्ती एक सीडी मृतक श्रवणलाल की लाश को पेड से उतारते समय
17	प्रदर्श पी–20	प्रमाण पत्र 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

18	प्रदर्श पी–21 लगायत 23	फोटोग्राफस मृतक श्रवणलाल
19	प्रदर्श पी–24	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम महमूद
20	प्रदर्श पी–25	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम अंजुम उर्फ इंजुम
21	प्रदर्श पी–26ए	प्रमाणित प्रति असल मालखाना रजिस्टर थाना रामगढ
22	प्रदर्श पी–27 लगायत 35	रोजनामचे का विवरण

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
1	बयान 161 सीआरपीसी लालचंद	प्रदर्श डी 1
2	बयान 161 सीआरपीसी प्रमोद	प्रदर्श डी 1

निर्णय **दिनांक: 03-08-2026**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से अभियुक्तगण **महमूद, इंजुम उर्फ अंजुम एवं सुमरदीन** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अनिल ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पुलिस थाना रामगढ में दिनांक 24-06-2020 को इस आशय की प्रस्तुत की कि प्रार्थी बालोत नगर कस्बा रामगढ का निवासी है और प्रार्थी की नाबालिग बहन के साथ अनीस पुत्र सुमरादीन ने दुराचार किया था, जिस बाबत् उन्होंने एक एफ.आई.आर. सं. 231/2020 पुलिस थाना रामगढ में दर्ज करवायी थी और जिसमें उसकी बहन प्रियंका के बयान दिनांक 24-06-2020 को अलवर कोर्ट में होने थे और इस कारण अनीस के परिवार वाले परिवादी के परिवार वालों पर उक्त प्रकरण को हटाने के लिये दबाव दे रहे थे और राजीनामा करने के लिये भी दबाव बना रहे थे और राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने

के लिये उनको धमकी दी जा रही थी।

03. दिनांक 23-06-2020 को ही सुमरादीन, महमूद, अंजुम, तौफिक व अन्य दो-तीन व्यक्ति एक राय होकर उनके घर पर आये थे और दबाव बनाया था। दिनांक 24-06-2020 को उसके पिताजी श्रवण पुत्र रामचन्द्र सुबह जंगल में शौच करने गये तो उक्त सभी व्यक्तियों ने एक राय होकर उसके पिता का गला घोंटकर उन्हें मार दिया और उन्हें पेड से लटका दिया और उसकी जानकारी होने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवायी। अतः कार्यवाही की जाए....इत्यादि ।

04. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 236/2020 थाना रामगढ, अंतर्गत धारा 302, 506, 34 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण महमूद व अंजुम उर्फ इंजुम के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 306, 506/34 भा.दं.सं. में एवं उसके पश्चात अभियुक्त सुमरदीन के विरूद्ध तितम्बा आरोप पत्र अंतर्गत धारा 306, 506/34 भा.दं.सं.में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

05. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण महमूद, इंजुम उर्फ अंजुम एवं सुमरदीन को धारा 306, 506 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोपो से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये। जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, लेकिन प्रस्तुत नहीं की गई।

07. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24-06-2020 से पूर्व किसी समय

स्थान बालोत नगर, रामगढ में सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी अनिल के पिता श्रवणलाल को फौजदारी मुकदमा में राजीनामा की नाजायज मांग तथा जान से मारने की धमकी देकर तंग व परेशान कर आत्महत्या के लिए साशय दुष्प्रेरित किया?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान तथा उससे पूर्व सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी व उसके परिवारजन को फौजदारी मुकदमा में राजीनामा नहीं करने की सूरत में जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया?

3. यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा?

08. अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि एफ.आई.आर. धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज करवायी गयी है, जबकि पुलिस के द्वारा चालान अन्तर्गत धारा 306 व 506 भा.द.सं. में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्तगण को मृतक श्रवणलाल की हत्या करते हुए या उसे आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करते हुए नहीं देखा। अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी पक्ष पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। परिवादी की बहन स्वंय अनीस से बातचीत किया करती थी और उसके बावजूद परिवादी पक्ष ने गलत तरीके से अनीस के विरूद्ध धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया और उसके बाद अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी पक्ष को कोई तंग परेशान नहीं किया गया और न ही राजीनामा के बाबत् कोई दबाव बनाया गया तथा अनुसंधान अधिकारी ने किस आधार पर धारा 306 भा.द.सं. का मुकदमा बनाया, उक्त तथ्य स्वंय अनुसंधान अधिकारी ने भी नहीं बताया। गवाहान ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्क समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये-

1.Rajesh V/S State Of Haryana

1[2019] DMC 644[SC]

2.Heera Lal And Anr. V/S State Of Rajasthan

2017 SAR [Criminal]653

3.State Of Maharashtra V/S Baba Saheb@Krishnat Durgappa Powar

II [2019] DMC 758[DB] [Bom.]

4.Naresh Kumar V/S State Of Haryana

2024[1] CJ[Cri.] [SC]259

5.Rohini Sudarshan Gangurde V/S State Of Maharashtra & Anr.
2024[3] CJ [Cri.][SC]761
6.State Of Kerala And Others V/S S. Unnikrishnan Nair And Others
2015[2] Criminal 392
7.Sunil Dutt Pathak V/S State Of Uttarakhand
II [2026] DMC 656 [Utt.]
8.Naresh Kumar V/S State Of Haryana
2024 Cr.L.R. [SC]440

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

09. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं परिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूर्व की एफ.आई.आर. में दबाव बनाने के लिये अभियुक्तगण ने राजीनामा करने पर दबाव बनाया और राजीनामा नहीं करने पर उनको जान से मारने की धमकी दी और उनको तंग परेशान किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे ।

10. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि **प्रकरण में पी.ड.1 परिवादी अनिल है तथा पी.ड.2 पंकज कुमार है, जो कि मृतक श्रवणलाल के पुत्र हैं।** उक्त दोनों गवाहान अपनी मुख्य परीक्षा में कुछ कथन तो तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार करते हैं और कुछ भिन्न कथन करते हैं। उक्त दोनो गवाहान अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन करते हैं कि वो पांच बहन भाई है जिसमे तीन बहने है और दो भाई है। घटना के समय वह पॉलिटेक्निक की पढाई कर रहा था और साथ मे बल्ली सैनी के गोदाम पर काम भी करता था। प्रियंका उसकी बहन है जिसे अनीस पुत्र सुमरदीन निवासी बालोद रामगढ आये दिन तंग-परेशान करता था। स्कूल जाती थी तो रास्ते अकेला देखकर छेड-छाड करता था और उसे परेशान करता था। अनीस उसकी बहन को धमकी देता था कि यदि तूने उससे बातचीत नही की तो वह उसे व उसके परिवार को बदनाम कर देगा। अनीस ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। जिससे परेशान होकर उसकी बहन प्रियंका ने दिनांक 18.06.20 को कुआं मे कूदकर जान देने की कोशिश की थी, उन्होंने उसे जैसे तैसे कुआं से बाहर निकालकर पंकज के दोस्त प्रमोद के घर

निवाली भेज दिया था। उसके बाद शाम को अनीस, महमूद, अन्जुम व तौफिक व 2-3 अन्य लोगो ने जिनके नाम आज उसके याद नही है उसके भाई पंकज के साथ मारपीट की तथा मारपीट करके भाग गये। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20.06.20 को पंकज ने थाने पर दर्ज करवाई थी।

रिपोर्ट कराने के बाद ये लोग आये दिन उन्हें राजीनामा करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकियां देते और कहते थे कि उनका घर अकेला है उनके साथ वो बहुत बुरा कर देंगे। उन्होंने मुल्जिमान से राजीनामा करने से साफ इनकार कर दिया था। दिनांक 23.06.20 की शाम को फिर से सुमरदीन, महमूद, अन्जुम व इनके परिवार के लोग राजीनामा का दबाव बनाने उनके घर आये। इन्होने हमें राजीनामा नही करने पर बुरा हाल कर देने की धमकियां दी। लेकिन उसने व परिवार वालो ने इनसे राजीनामा से इनकार कर दिया था। तब महमूद व अन्जुम ने कहा कि अभी तो तुम्हारी लडकी के साथ जो हुआ वह ट्रेलर था। उस समय उसके पिता श्रवणलाल भी घर पर मौजूद थे। रात को वो सब परिवार वाले खाना खाकर सो गये। अगले दिन दिनांक 24.06.20 को सुबह उन्हें पता लगा कि इन लोगो ने उसके पापा को मार कर शीशम के पेड पर लटका दिया है। तब उन्होने मौके पर जाकर देखा तो उसके पिता का शव शीशम के पेड पर लटका हुआ था।

जिस घटना की रिपोर्ट उसने उसी दिन थाना रामगढ मे दर्ज करवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है, चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी-02 है। घटना वाले दिन मौके पर सुबह के समय पुलिस आ गई थी। पुलिस ने उसके पिता की लाश को पेड से नीचे उतारा था तथा उनके गले मे बंधी हुई एक प्लास्टिक की आसमानी रंग की रस्सी को खोलकर मौके पर जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली मे सील मोहर कर मार्का "ए" अंकित करके फर्द जप्ती प्रदर्श पी-03 उसके व उसके भाई पंकज की मौजूदगी मे तैयार की थी। उसी समय उसके पिता की जमीन पर पडी एक जोडी हवाई चप्पल को भी पुलिस ने एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मौके पर सील मोहर कर जप्त कर मार्का "बी" अंकित किया था। जिसकी फर्द प्रदर्श पी-04 उनके सामने मौके पर तैयार की थी। घटना के करीब 3-4 दिन बाद दिनांक 30.6.20 को पुलिस मौके पर आई थी, उसने पुलिस को वह स्थान जहा उसके पिता को मारकर मुलजिमान ने पेड पर लटकाया था बताया था। पुलिस ने वहां का नक्शा मौका प्रदर्श पी-05 उसकी निशादेही से मौके पर तैयार किया था, उस समय उसकी मां व उसका भाई मौके पर मौजूद थे। गवाह ने उक्त सभी फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं।

11. गवाह पी.ड.2 पंकज कुमार ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बताया कि पुलिस ने उसके पिता की लाश का पंचायतनामा उनकी मौजूदगी में सी एच सी रामगढ में दिनांक 24.06.2020 को तैयार किया था जो पंचायतनामा प्रदर्श पी 6 है। उसके पिता की लाश बाद पोस्टमार्टम पुलिस ने अंतिम संस्कार हेतु उसके सुपुर्द की थी, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 7 है। मौके पर आई पुलिस ने जिस प्लास्टिक की रस्सी से उसके पिता की लाश पेड से लटकी हुई थी उसे खोलकर मौके पर जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में सील किया था तथा फर्द जब्ती प्लास्टिक की रस्सी प्रदर्श पी 3 है, जो मौके पर तैयार की थी। उसी समय मौके पर पडी उसके पिता की एक जोडी हवाई चप्पल पुलिस ने लेकर एक सफेद कपडे की थैली मे सील्ड की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 उनके सामने मौके पर तैयार की थी। वक्त घटना उसके पिता श्रवणलाल के पहने हुए कपडे एक पेंट शर्ट व बनियान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जब्त कर सफेद कपडे की थैली में सील्ड किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 8 पुलिस ने उनकी मौजूदगी में तैयार की थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 दिनांक 30.06.2020 को उनके सामने मौके पर तैयार किया था। गवाह ने उक्त सभी फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं।

12. परन्तु जिरह में उक्त दोनों गवाहान पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करते हैं और यह उल्लेख करते हैं कि अनीस के द्वारा उनकी बहन को तंग परेशान करने बाबत् उन्होंने पूर्व में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी और उनके साथ कोई मारपीट अभियुक्तगण द्वारा नहीं की गई तथा उन्होंने उनके पिता को अभियुक्तगण ने गला घोंटकर मारा हो, ऐसा नहीं देखा था तथा उन्हें किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताया था कि अभियुक्तगण ने उनके पिता को गला घोंटकर मारा हो और बाद में पेड से लटकाया हो। किसी भी गवाह ने या किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्तगण को उसके पिता के साथ नहीं देखा था, तो जब स्वंय परिवादी पक्ष या किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्तण को उसके पिता के साथ नहीं देखा था तो फिर यह कैसे माना जा सकता है कि अभियुक्तगण ने मृतक श्रवण को दिनांक 24-06-2020 या उससे पूर्व इतना तंग परेशान किया हो, जिसके कारण वह आत्म हत्या कर ले।

13. उक्त दोनों गवाहान अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करते हैं कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तब तक पुलिस मौके पर आ चुकी थी और उसके पिता का शव पुलिस के द्वारा उतारा जा चुका था। इससे भी यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम

पुलिस को सूचना परिवादी पक्ष द्वारा नहीं दी गई, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिससे पुलिस व गांव के अन्य व्यक्ति पहले घटनास्थल पर पहुंच गये थे तथा घटनास्थल पर अभियुक्तगण के साथ मृतक श्रवण को किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा और न ही अभियुक्तगण का कोई भी सामान या उनकी उपस्थिति मौके पर दर्शायी गई है।

14. पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण पर धारा 306 भा.दं.सं. का आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु परिवादी अनिल व पंकज आदि के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दुष्प्रेरण के संबंध में साक्ष्य नहीं देकर धारा 302 भा.द.सं. के बाबत् साक्ष्य दी है, परन्तु धारा 302 भा.द.सं. के बाबत् अभियुक्तगण ने श्रवण लाल को मारा हो, इस संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया और अभियुक्तगण ने मृतक श्रवण लाल को दिनांक 24-06-2020 से पूर्व इतना परेशान किया हो कि जिससे उसने आत्महत्या कर ली। इस बाबत् कोई स्पष्ट साक्ष्य उक्त गवाहान द्वारा नहीं दी गई है और यदि अभियुक्तगण उन पर राजीनामा के बाबत् दबाव बना रहे थे या तंग परेशान कर रहे थे तो परिवादी पक्ष इस बाबत् पूर्व में भी पुलिस को अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा सकता था, परन्तु परिवादी पक्ष द्वारा इस संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवायी गयी और उक्त रिपोर्ट पूर्व में दर्ज क्यों नहीं करवायी, इसका भी कोई उचित कारण उक्त दोनों गवाहान द्वारा नहीं बताया गया है।

15. **गवाह पी.ड.3 प्रमोद कुमार मृतक श्रवणलाल के पुत्र पंकज का मित्र है और उसके कहे अनुसार ही कथन करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है** कि वह इब्तिदा संस्था में कार्य करता है और पंकज को काफी सालों से जानता व पहचानता है। उसका पंकज के घर पर आना जाना भी है। दिनांक 18.06.2020 को दोपहर करीब दो बजे वह मुबारिकपुर किसी कार्य से जा रहा था। उसने पंकज के घर के पास भीड़ देखी तो वह पंकज के घर चला गया। जहां पंकज की मां से उसने पंकज के बारे में पूछा तो उसकी मां ने बताया कि प्रियंका घर से नाराज होकर कहीं चली गई है पंकज उसे लेने गया है। फिर उसने पंकज को फोन किया तो उसने बताया कि वह जंगल में है, वह भी पंकज के पास चला गया। वहां एक कुएं पर पंकज मिला। पंकज की बहन प्रियंका कुएं के अंदर लगे पाईप लाईन को पकडकर बैठी हुई थी, वहां काफी लोग मौजूद थे। पंकज और वहां मौजूद लोगों ने प्रियंका को कुएं से निकाला, वह वहां मौजूद था। इसके बाद पंकज ने प्रियंका को अपने घर ले जाने के लिए कहा। तब वह और बिज्जू उर्फ

विजय गूर्जर प्रियंका को मोटरसाईकल पर बैठाकर ले गये थे। उसने प्रियंका से पूछा कि "तू कुएं में क्यों कूदी" तब उसने उसके बताया कि अनीश पुत्र सुमरदीन मेव निवासी बालोत नगर करीब एक-डेढ साल से उसे परेशान करता चला आ रहा था।

16. गवाह ने साक्ष्य में यह भी कथन किया कि प्रियंका ने उसे बताया कि अनीस ने उसके साथ गलत काम किया था जिसके कारण वह परेशान होकर कुंए में कूद गई थी। इसके बाद वह बिज्जू को उसके घर छोडकर मुबारिकपुर चला गया था। इसके बाद दिनांक 23.06.2020 शाम को वह पंकज के घर मिलने चला गया था। वहां पर पंकज के मम्मी पापा और पंकज मिले, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में ही अचानक सुमरदीन, अंजुम, महमूद व अनीश निवासी बालोतनगर वहां आये और राजीनाम को लेकर बात करने लगे। राजीनामा करने से पंकज और उसकी मां ने मना किया तो वो लोग बहस करने लगे और गाली गुफ्तार करने लगे और धमकी दी कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो उन्हें जान से मार देंगे और उन्हें यहां नहीं रहने देंगे, उनका अकेला घर है और उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतना पडेगा। यह धमकी देकर वो लोग चले गये। तब मेरे पूछने पर पंकज की मां ने बताया कि ये लोग आए दिन ऐसे ही धमकियां देते रहते हैं, इन मेवों ने उनका जीना हराम कर रखा है। ये लोग राजीनामा करने के लिए धमकी देते हैं। इसके बाद वह अपने घर आ गया। अगले दिन दिनांक 24.06.2020 को सुबह उसको पता चला कि पंकज के पिता श्रवणलाल को राजीनामा ना करने के कारण मुलजिमान ने मारकर पेड़ पर फंदा लगाकर लटका दिया। इस बात का पता लगने पर वह अस्पताल गया था, जहां दिनांक 24.06.2020 को पंकज के पिता श्रवणलाल के शव का पुलिस ने पंचायतनामा प्रदर्श पी 6 उनके सामने तैयार किया था। उसी समय पुलिस ने मृतक श्रवण लाल के द्वारा वक्त घटना पहने हुए कपड़े पेंट, शर्ट व बनियान सीएचसी रामगढ़ की मोर्चरी से लेकर जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 8 मौके पर बनाई थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर कराए थे।

17. जिरह में भी उक्त गवाह केवल मात्र यह कथन करता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को दिनांक 23-06-2020 को धमकी दी गई थी, इस बाबत् उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी और उसने धारा 161 द.प्र.सं. के बयानों में इन तथ्यों को इनकार नहीं किया कि उसके सामने अभियुक्तगण ने श्रवणलाल को धमकी दी हो। इस प्रकार उक्त गवाह का मुख्य भाग प्रियंका को कुंए से

निकालकर उसके साथ ले जाने की हद तक है। उक्त गवाह के सामने अभियुक्तगण के द्वारा मृतक श्रवणलाल को कोई धमकी दी गई हो। इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य उक्त गवाह द्वारा नहीं बताई गई है।

18. **गवाहान पी.ड.4 जगमोहन शर्मा एवं पी.ड.6 हेतराम दोनों गवाहान पंचायतनामा के गवाह हैं** और अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि 24-06-2020 को सीएचसी रामगढ में पुलिस ने मृतक श्रवण लाल का पंचायतनामा तैयार किया जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

जिरह में यह कहा है कि प्रदर्श पी-6 पंचनामा में जो राय लिखी गई थी, वो उनके द्वारा नहीं बताई गई। उनके पुलिस ने केवल हस्ताक्षर करवाये थे।

19. **गवाह पी.ड.8 लालचंद अनुश्रुत गवाह है और परिवादी की जान-पहचान का होकर दूर का रिश्तेदार है,** जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह रामगढ अलवर मे केला बेचने की ठेली लगाता है। पंकज की माता उसकी मौसी की लडकी है। पंकज की माता का गांव मल्लाका हरियाणा में है। उसका जीजा का नाम श्रवण है जिनके तीन लडकी व दो लडके है जो बालोतनगर रामगढ मे रहते है। बालोतनगर मे इनका अकेला मकान था। उसके जीजा की बीच वाली लडकी प्रियंका को सुमरा का लडका महमूद का भाई परेशान करता था। उसने महमूद के पिता सुमरा को बुलाया था और उससे उसने कहा था कि तुम अपने बच्चे को समझा दो वह उनकी लडकी को परेशान न करे। घटना से करीब 2 माह पहले की बात है सुमरा ने कहा कि वह उसके लडके को समझा देगा उसके बाद भी वह लडका प्रियंका को परेशान करता था। सन् 2020 की बात है तारीख उसके ध्यान नही है, वह सब्जी लेने के लिये अलवर आ गया था। अलवर मे उसके पास करीब 11 बजे फोन आया कि उसका जीजा फांसी लगाकर मर गया या किसी ने उसे मार दिया। वह अलवर से वापस रामगढ जाकर अपने घर गाडी खडी कर सीधा उसके जीजा के घर पहुंचा तो वहा पर भीडभाड थी।

20. गवाह ने बताया कि वहां उसने सुना कि उसके जीजा को सुमरा के लडको ने मार दिया। सुमरा का लडका प्रियंका को परेशान करता था इस वजह से प्रियंका घटना से करीब 10 दिन पहले कुए मे कूद गई थी। तब उसका लडका व उसका भाई पंकज ने उसको कुए से निकाला था। श्रवण की मृत्यु होने के बाद उसके पास मे सुमरा उसके घर आया और पंकज को बुलाने के लिये उसने बोला तब पंकज आया। उस समय सुमरा ने कहा था कि उनका आपस मे राजीनामा करवा दो तब पंकज ने कहा कि वह राजीनामा नहीं करेगा, तब पंकज अपने घर चला

गया और सुमरा अपने घर चला गया। सुमरा पंकज को धमकी देकर गया था कि वह उसे देख लेगा फिर कहा कि दो दिन बाद मे पेशी है उससे पहले राजीनामा कर लो नहीं तो उनके देख लेगे। घटना के करीब 10 दिन बाद नवाज खां का लडका उसके घर आया था कि सुमरा के घर 5 आदमी एकत्रित हो रहे हैं तो वह वहां गया तो करीब 200 आदमी वहां खडे थे, उन्होंने उसको राजीनामा करने की बात कही तो उसने सुमरा से कहा कि रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई है तो वह किससे राजीनामा करे आप अपना मुकदमा वापस ले लो।

21. उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि वह सन् 1998 से रामगढ में रह रहा है और पंकज का घर उससे करीब आधा किलोमीटर दूर है। उसने पुलिस को बयान दिये थे, परन्तु उसके द्वारा यह नहीं बताया गया कि उसने अभियुक्तगण को मृतक श्रवणलाल के साथ देखा हो, यह नहीं बताया गया है। इस प्रकार उक्त गवाह एक अनुश्रुत गवाह होकर केवल मात्र परिवादी पक्ष के कहे अनुसार कथन करता है।

22. **गवाह पी.ड.5 डॉक्टर निशांत शर्मा द्वारा मृतक श्रवण लाल का पोस्टमार्टम किया गया है** और अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 24.06.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना रामगढ के पुलिस प्रतिवेदन पर मृतक श्रवणलाल पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 53 साल का पोस्टमार्टम मैडीकल बोर्ड द्वारा किया गया था। मैडीकल बोर्ड में उसके अलावा डॉ० ज्योति तथा डॉ० समरथलाल मीणा मौजूद थे। पोस्टमार्टम परीक्षण के अनुसार मृतक सामान्य कद काठी का पुरूष जिसमें पीले क्रीम रंग की शर्ट तथा काले रंग की पेन्ट पहनी हुई थी। मृतक की आंखे बंद जबडा भींचा हुआ था। पेरीफेरिस ठन्डी व पीली, चेहरा, उगंलिया कन्जेस्टेड तथा नीला पडा हुआ था। मृतक के अन्डर गार्मेन्ट में सीमन के दाग मौजूद थे, शरीर के डिपेन्डेन्ट भाग पर पोस्टमार्टम स्टेनिंग मौजूद थी। गर्दन तथा दोनो भुजाओं व पैरो मे जकडन मौजूद थी। गर्दन के चारो तरफ बन्ध का निशान मौजूद था। शरीर से किसी प्रकार की दुर्गन्ध नही आ रही थी। मृतक की कपाल, मस्तिष्क की झिल्लिया, मस्तिष्क, दोनो तरफ के फेफडे, ह्रदय व उसकी झिल्ली तथा बडी वाहीका सामान्य थी। गर्दन का परीक्षण करने पर कंठ व श्वांस नली सामान्य थी एवं गर्दन के नीचे के उत्तकों में कोई खून का थक्का नही पाया गया था। गर्दन के नीचे कन्जेशन मौजूद था तथा हायोड अस्थि इन्टेक्ट थी। पेट व उसकी झिल्लिया, मूक ग्रशनी, जिग , स्पलीन, गुर्दे, बाह्य व आंतरिक जननांग

स्वस्थ थे। छोटी आंत स्वस्थ तथा अधपचे हुए भोज्य पदार्थ से भरी थी। बडी आंत स्वस्थ एवं गैस तथा मल से भरी थी।

23. गवाह ने यह भी कथन किया है कि बन्ध के निशान का परीक्षण करने पर पेट निशान गर्दन के चारो तरफ जो कि पीले भूरे रंग का, सूखा हुआ छूने पर कठोर, प्वाईट 08 से 1 से.मी. चौडा था। जो कि बांई तरफ मेन्डीबल के एंगल से दाई तरफ गर्दन के पीछे मध्य तक मौजूद था। बन्ध का निशान थॉईराईड उपास्थि के उपर कंठ व ठोडी के बीच में जिसकी डायरेक्शन उपर व पीछे की तरफ मेन्डीबल के लाईन के समानान्तर थी। बन्ध का निशान बाई तरफ अधूरा था तथा बांई तरफ के कान के पास मेसट्राईड पोर्सेस पर गांठ का निशान मौजूद था। बन्ध के निशान के चारो तरफ कन्जेशन मौजूद था।

24. गवाह ने बताया कि शरीर पर एक x एक से.मी. खरोंचनुमा चोट दाहिने तरफ के घुटने पर मौजूद जो कि मृत्यु पूर्व तथा 12 से 24 घण्टे पुरानी थी। उक्त चोट के अलावा शरीर पर अन्य कोई जाहिरा चोट नजर नही आई। पोस्टमार्टम परीक्षण के अनुसार मृतक श्रवणलाल की मृत्यु प्राथमिक जांच के अनुसार मैकेनिकल एसफेक्सिया की वजह से जो कि हेगिंग के कारण होना पाया गया तथा मृत्यु का समय पोस्टमार्टम परीक्षण से 4 से 12 घण्टे के भीतर की थी। किसी तरह की पॉयजनिंग तथा हिस्टोपैथोलॉजी की जांच के लिये मृतक के विसरा लिये गये तथा उन्हे सील जार कर अनुसंधान अधिकारी थाना रामगढ को सुपुर्द कर दिये।

25. गवाह ने कथन किया कि फाईनल ऑपीनियन उक्त रिपोर्ट आने तक रिर्जव रखी गई। निम्न विसरा प्रर्जव किये गये। जार "ए" दिल, फेफडे, लीवर, स्पलीन का टुकडा 10 प्रतिशत फॉरमेलिन के घोल में। जार "बी" फेफड, लीवर, स्पलीन व गुर्दे का टुकडा सामान्य नमक के घोल में। जार "सी" छोटी आंत व उसके कन्टेन्ट तथा पेट व उसके कन्टेन्ट सामान्य नमक के घोल में। "डी" वॉयल एक कांच की वायल जिसमें लगभग 10 एमएल रक्त का नमूना लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है, जिस पर ए से बी मैडीकल बोर्ड की राय, तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर, ई से एफ डॉ० ज्योति, जी से एच डॉ० सर्मथलाल मीणा के हस्ताक्षर है, जिनको वह उनके साथ काम करने की वजह से पहचानता है। एक्स स्थान पर संग्रहित किये गये विसरा पर लगाई गई सील का नमूना है। एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है तथा हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

प्रदर्श पी-10 के अनुसार मृतक के लिये गये विसरा में किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ होना नही पाया गया। प्रदर्श पी-11 हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार मृतक के लिये गये विसरा सामान्य पाये गये। उसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ.एस.एल रिपोर्ट व हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मैकेनिकल एक्सफेक्सिया जो कि एनटीमोर्टम हेगिंग के कारण होना पाया गया।

26. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि मृतक की दम घुटने से मृत्यु हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। इस प्रकार उक्त गवाह भी मृतक की दम घुटने से मृत्यु होने बाबत् कथन करता है।

27. **गवाह पी.ड.7 आस मौहम्मद कांस्टेबल है,** जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 24.08.2020 को पुलिस थाना रामगढ पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन आईओ ने मुकदमा नं. 236/20 मुलजिम सुमरदीन की तस्दीक सकुन्त वह अपराधीक रिकॉर्ड पेश करने हेतु के हुकुमनामा दिया जो प्रदर्श पी-12 है। जिस की पुस्त पर ए से बी गांव वालो की रिपोर्ट व सी से डी व ई से एफ गांववासियों की हस्ताक्षर हैं, जिस से जी से एच उसकी रिपोर्ट आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया ।

28. **गवाह पी.ड.10 मंजू महिला कांस्टेबल है, जिसके सामने अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार द्वारा पीडिता प्रियंका एवं भावना के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान लेखबद्ध किये गये थे,** जो क्रमशः प्रदर्श पी-13 व प्रदर्श पी-14 हैं, जिन पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं।

29. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करती है कि उस समय प्रियंका एवं भावना दोनों नाबालिग थी और उसके सामने बयान लिये गये थे।

30. **गवाह पी.ड.11 भरत सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है** और यह कथन करता है कि वह रामगढ में देव ऋषभ होटल चलाता है, पंकज व अनिल को होटल के पीछे रहने के कारण जानता है। पंकज के घर भीडभाड हो रही थी, वह वहां चला गया और भीडभाड को देखकर वापिस आ गया। उसके पुलिस में बयान हुए या नहीं, उसे नहीं पता।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जिरह किए जाने पर अपने पुलिस बयान

प्रदर्श पी-7 का ए से बी भाग देने से इनकार किया और इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि श्रवणलाल को आरोपीगण द्वारा धमकाया हो और आत्महत्या के लिए उकसाया हो।

31. **गवाह पी.ड.12 मनमोहन सिंह प्रकरण में जब्तशुदा माल को एफ.एस.एल. लेकर गया था** और अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 08.07.2020 को थाना रामगढ पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन उसको एचएम मालखाना ने प्रकरण संख्या 236/2020 के मुकदमे के पांच सील्ड पैकेट एफएसएल जयपुर में जमा कराने हेतु दिए थे। जिसे उसने उसी दिन उसी अवस्था में जमा करा दिया। जिसकी रसीद प्रदर्श पी 16 लाकर एचएम मालखाना को सुपूर्द की।

32. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि वह मालखाना से माल को लेकर एफएसएल में गया था और पैकिट सीलशुदा थे। इस प्रकार यह गवाह सीलशुदा पैकिट एफएसएल में जांच हेतु ले जाने के संबंध में साक्ष्य देता है।

33. **गवाह पी.ड.14 कोमल मृतक श्रवणलाल की बडी लडकी है और उक्त गवाह भी एक अनुश्रुत गवाह है** और अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि वो पांच बहन-भाई है। दो भाई व तीन बहिन है। उसकी छोटी बहिन प्रियंका कक्षा दसवीं तक उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उसकी बहिन प्रियंका डिप्रेसन में रहने लग गई। उसकी बहिन प्रियंका पढने में होशियार थी। अचानक प्रियंका डिप्रेशन में रहने के कारण पढ़ाई में भी कम ध्यान देने लग गई तथा विद्यालय भी कम जाने लग गई। उसने बहिन प्रियंका से पूछा कि वह डिप्रेशन में क्यों रहती है तथा विद्यालय भी कम जाती है तो उसने कहा कि उसके सिर में दर्द रहता है और कुछ नहीं बताया। उसके पश्चात एक दिन उसने प्रियंका से जोर देकर पूछा तो प्रियंका ने उसके बताया कि अनीस नाम के लड़के के घर के सामने से जब वह विद्यालय जाती है तो वह उसके तंग परेशान करता है और उसका पीछा भी करता है। अनीस प्रियंका पर बात करने का दबाव बनाता था। यह सभी बातें उसने मम्मी को बताई थी। उसकी मम्मी ने अनीस के पापा को बुलाकर उक्त घटना के बारे में बताया तो अनीस के पापा ने कहा कि आगे से ऐसी बात नहीं होगी। उसके बाद उसकी बहिन प्रियंका स्कूल जाने लग गई तो अनीस उसकी बहिन प्रियंका को प्रताडित करता था। तथा अनीस ने प्रियंका को एक फोन व एक सिम दिया, जो फोन व सिम प्रियंका ने उसको दिया और उसने फोन व सिम को

मम्मी को दिया। अनीस उसकी बहिन का पीछा कर उस पर बात करने का दबाब बनाता था। अनीश ने उसकी बहिन के साथ बलात्कार भी किया था।

34. गवाह ने बताया कि उसकी बहिन अनीस से परेशान होकर 18.06.2020 को दोपहर को जंगल की तरफ घर से चली गयी। जिसको राजबाबू नाम के लड़के ने देखा और उसके भाई पंकज को बताया जिस पर उसके दोनो भाई पंकज व अनिल व उनके दोस्त गए तब तब उसकी बहिन प्रियंका कुंए में कूद गयी। उसके भाई व उनके दोस्तों ने मिलकर प्रियंका को कुंए से बाहर निकाला। दिनांक 18.06.2020 को शाम को ही सुमरदीन, इंजूम, महमूद, तौफीक व इनके साथी उनके घर आए और उन्होंने उसके भाईयों व पापा के साथ मारपीट की। शोर-शराबा होने पर यह लोग वहां से भाग गए। दिनांक 20.06.2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पहले ही थाने में रिपोर्ट दे दी थी लेकिन थाने वालों ने दिनांक 20.06.2020 को रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यह लोग रोजाना उनके ऊपर राजीनामे का दबाव बनाते थे। उसके पापा व भाई के द्वारा राजीनामा से मना करने पर धमकियां देने लगे। धमकियों में मारने व खत्म करने की धमकी देते थे। रोजाना की तरह दिनांक 23.06.2020 को शाम को यह लोग इजूम, महमूद, सुमरदीन, तौफीक व इनके अन्य साथी आए और राजीनामा का दबाव बनाया और कहा कि यदि राजीनामा नही किया तो तुमने अभी क्या देखा है यह तो ट्रेलर है। अगले दिन दिनांक 24.06.2020 को इन सभी लोगों ने उसके पापा श्रवण कुमार को मारकर जंगल में पेड पर लटका दिया। उसके पापा को इन लोगों ने राजीनामा करने से मना करने के कारण मारा था।

35. जिरह में भी उक्त गवाह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि अभियुक्तगण ने किस समय उनको धमकी दी, इस बाबत् उसे जानकारी नहीं है तथा उसकी बहिन प्रियंका को अनीस तंग परेशान किया करता था। उक्त गवाह से अधिकांश जिरह एक अन्य प्रकरण जो अनीस के विरूद्ध पोस्को न्यायालय में लम्बित है, उससे संबंधित जिरह की गई है, जो प्रस्तुत प्रकरण में सुसंगत नहीं है। उक्त गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करती है कि उसके परिवार वालों ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने से इनकार कर दिया तो अभियुक्तगण उनके घर से चले गये थे, परन्तु अभियुक्तगण ने उसके पिता या उसके परिवारजन को इस कदर धमकी दी हो या तंग परेशान किया हो, जिससे मृतक श्रवण लाल आत्महत्या कर ले, इस हद तक तंग परेशान बाबत् भी उक्त गवाह कोई कथन नहीं करती है।

36. **गवाह पी.ड.15 धनसिंह मालखाना का गवाह है** और अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 24.06.2020 को वह पुलिस थाना रामगढ में एच.सी मालखाना के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नं. 236/20 धारा 306,506,34 आईपीसी में दर्जशुदा मुकदमा हाजा में जप्तशुदा माल को अनुसंधान अधिकारी विरेन्द्र सिंह ने उसके मय फर्द जप्ती मय माल मालखाना में जमा करने हेतु दिया गया था, जिस पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 910/163 पर इन्द्राज किया गया, जो निम्नप्रकार है-

1. एक सफेद रंग की कपडे की थैली सील्ड मार्का 4 "बी" जिसमें एक जोडी हवाई चप्पल जिसकी दो बद्दियों पर अग्रेजी में ठंपतंसीप लिखा हुआ है, चप्पल के ऊपर पीली व लाल धारी बनी हुई है।

2. एक सफेद रंग की कपडे की थैली सील्ड मोहर मार्का "ए" जिसमें एक प्लास्टिक रस्सी जिसकी लम्बाई 6 फुट 2 इंच जिसका रंग आसमानी है जो मृतक श्रवणलाल के गले में होना बताया था।

3. मृतक की पेन्ट, शर्ट, बनिया।

4 एक सफेद कपडे की थैली में एक सीडी जिसमें प्रोफसनल लिखा है घटनास्थल से जप्त किया गया।

5. चार जार ए,बी,सी,डी जो सीएचसी रामगढ द्वारा सील्ड किये हुये है, जो असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-26 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-26ए है। पुलिस अधीक्षक अलवर के आदेश 3844-45 दिनांक 03.02.20 की पालना में जगमोहन कांस्टेबल 1362 ने एफएसएल जयपुर जमा करवाया। जिसका इन्द्राज मालखान रजिस्टर में ए से बी है। बाद परीक्षण रिपोर्ट आनन्द कांस्टेबल 530 ने जमा करवाई।

37. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि मालखाना रजिस्टर में उसे माल को जमा करने बाबत् अंकन किया था तथा उसके बाद जयपुर एफ.एस.एल. में भी माल भेजा गया, परन्तु वह कौनसी तारीख को भेजा गया, उसे याद नहीं है तथा उक्त गवाह स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में मालखाना में माल को जमा करना व एफ.एस.एल. भेजने बाबत् कथन करता है।

38. **गवाह पी.ड.16 रामनिवास केवल चार्जशीट का गवाह है** और अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 08.09.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसने मुकदमा नंबर 236/2020 में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मुलजिमान महमूद, इंजूम के विरूद्ध

अपराध धारा 306,506,34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाए जाने एवं मुलजिम सुमरदीन के विरूद्ध उक्त अपराध में 299 सीआरपीसी के आदेश में पत्रावली उसके समक्ष पेश करने पर उसके द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार चार्जशीट पेश की। चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

39. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया, केवल चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

40. **गवाह पी.ड.9 विरेन्द्र सिंह प्रथम अनुसंधान अधिकारी है और पी.ड.13 दीपक कुमार द्वितीय अनुसंधान अधिकारी है।** जिनमें **पी.ड.9** अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 24.06.2020 को थानाधिकारी रामगढ के पद पर कार्यरत था। उस दिन अभियोग संख्या 236/2020 धारा 302,506,34 आई.पी.सी. के प्रकरण की तपतीश उसके प्राप्त हुई। उस दिन मृतक श्रवणलाल का पंचायतनामा प्रदर्श पी-06 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिस पर ए से जे तक पंचान के हस्ताक्षर है तथा के से एल उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम मृतक श्रवणलाल की लाश पंकज कुमार को सुपुर्द की। रसीद सुपुदर्गी लाश प्रदर्श पी-07 है। मृतक श्रवणलाल के पार्चाजात पेन्ट,शर्ट, बनियान जरिये फर्द प्रदर्श पी-08 के जप्त किये गये थे और जप्तशुदा कपडो को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील्ड मोहर मार्का सी अंकित किया था एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। एक प्लास्टिक की रस्सी मृतक के गले से खोलकर जरिये फर्द जप्त की थी जो फर्द जप्ती प्रदर्श पी-03 है जिसको मौके पर सील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया था, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मृतक की दो हवाई चप्पल जरिये फर्द जप्त की थी जो फर्द जप्ती प्रदर्श पी-04 है जिसको मौके पर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया था जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उच्चाधिकारियो के आदेशानुसार दीपक कुमार वृत्ताधिकारी को सुपुर्द की गई।

41. जिरह में उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि मृतक के गले में लटकी रस्सी को दिखाकर उसके द्वारा डॉक्टर से कोई राय नहीं ली गई और उसके द्वारा मृतक के कपडे आदि जब्त किये गये थे। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा आंशिक

अनुसंधान किया गया था, जिसकी पुष्टि उक्त गवाह द्वारा की गई है।

42. **गवाह पी.ड.13 दीपक कुमार** द्वितीय अनुसंधान अधिकारी अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 24.06.2020 को वह वृत्ताधिकारी वृत्त दक्षिण अलवर के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं. 236/20 की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसके प्राप्त हुई थी। उस दिन प्रकरण में मौके पर की गई जप्ती व पोस्टमार्टम की कार्यवाही व पंचनामा थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ अलवर के द्वारा करवाई गई फर्दात प्राप्त होने पर उसके द्वारा परिवादी अनिल व गवाहान पंकज, ओमप्रकाश, यशवंत, हजारीलाल, किरण, अंजू, प्रियंका, भावना, सुगन सिंह, कैलाश सिंह, लालचंद, प्रमोद, भरतसिंह, कोमल, नेतराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी में उनके कथनानुसार लिये जाकर लेखबद्ध किये गये।

,

43. गवाह की यह भी साक्ष्य रही है कि दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 परिवादी की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति में उसके द्वारा तैयार किया गया। मृतक श्रवण लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। दौराने पोस्टमार्टम चिकित्साधिकारी द्वारा मृतक के शरीर से परीक्षण हेतु लिये गये जप्तशुदा मार्का 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' तीन जार व एक शीशी को कांस्टेबल पवन कुमार के द्वारा उसके समक्ष पेश करने पर उसके द्वारा फर्द जप्ती प्रदर्श पी-18 उसके द्वारा तैयार की गई। दौराने अनुसंधान दिनांक 28.06.2020 को दौराने मृतक के शव को शीशम के पेड़ से उतारते समय व पोस्टमार्टम की गई विडियोग्राफी कांस्टेबल सुगन सिंह के द्वारा अपने मोबाईल से की जाकर कम्प्यूटर से डाउनलोड कर सी.डी बनाई जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी-19 उसके द्वारा तैयार की। असल सी.डी पत्रावली पर मौजूद है जो आर्टीकल-1 है। कांस्टेबल सुगनसिंह के द्वारा दिया गया 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-20 लिया जाकर शामिल पत्रावली किया। मृतक के फोटो प्रदर्श पी-21 लगायत 23 है जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया जिन पर ए से बी शामिल पत्रावली किये जाने का नोट व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में दौराने पोस्टमार्टम लिया गया विसरा मार्का 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' को परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा जाकर एफएसएल रसीद प्रदर्श पी-16 को शामिल पत्रावली की। एफएसएल रिपोर्ट पत्रावली पर आ चुकी है जो प्रदर्श पी-10 व 11 है।

44. गवाह ने यह भी साक्ष्य दी है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 13.07.2020 मुलजिम महमूद को गिरफ्तार कर फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी-24

उसके द्वारा तैयार की। उसी दिन मुलजिम अंजुम उर्फ इंजुम को गिरफ्तार कर फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी-25 उसके द्वारा तैयार की। प्रकरण में जप्तशुदा माल को एच.एम मालखाना को जमा करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर की छायाप्रति प्रदर्श पी-26 प्राप्तकर शामिल पत्रावली किया गया। जिसके प्रत्येक पेज बतौर प्रमाणिकर्ता एच.एम मालखाना के हस्ताक्षर है। प्रकरण से सम्बंधी रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-27 लगायत 35 शामिल पत्रावली किये गये। सम्पूर्ण तफ्तीश से मुलजिमान महमूद, अंजुम व सुमरदीन के विरूद्ध अपराध धारा 306,506,34 आई.पी.सी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम महमूद व अंजुम के विरूद्ध पूर्ण चालानी आदेश व प्रकरण में वांछित आरोपी सुमरदीन के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में 299 सीआरपीसी में चालानी आदेश हेतु पत्रावली थानाधिरी पुलिस थाना रामगढ को सुपुर्द कर दी।

45. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 परिवादी ने हत्या के बाबत् आरोप लगाये थे, परन्तु उसके अनुसंधान में हत्या के तथ्य नहीं पाये गये थे और दुष्प्रेरण का मामला पाया गया था। परन्तु दुष्प्रेरण का मामला किस प्रकार पाया गया, इस संबंध में उक्त गवाह ने अपने चालान व अपनी साक्ष्य में कहीं कोई स्पष्ट नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण ने मृतक श्रवण लाल को इतना तंग परेशान किया हो, जिसके कारण वह दुखी होकर आत्महत्या कर ले।

46. पी.ड.13 दीपक कुमार अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि प्रियंका, अनीस से फोन पर बाते किया करते थे और उसके बाद परिवादी पक्ष ने अनीस पर मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद प्रियंका कुंए में भी कूदी थी। इस प्रकार उक्त गवाह से भी अधिकांश जिरह अनीस व प्रियंका के मुकदमा से संबंधित की गई है, परन्तु अभियुक्तगण ने मृतक श्रवण लाल को तंग परेशान किया हो, इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य उक्त गवाह द्वारा नहीं दी गई है।

47. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य से कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण ने पूर्व के प्रकरण में राजीनामा करने के लिये परिवादी पक्ष पर इतना दबाव बनाया हो कि जिस कारण श्रवण लाल को आत्महत्या करनी पडे। प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है और किसी भी अडौसी-पडौसी आदि व्यक्ति ने ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण परिवादी के घर पर गये हों और उन्हें तंग परेशान किया हो

या अभियुक्तगण मृतक श्रवण लाल से बार-बार मिले हों और उससे मिलकर उसको धमकी देते हों और उसे तंग परेशान करते हों। अभियुक्तगण के विरूद्ध ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अभियुक्तगण को **संदेह का लाभ दिया जाकर** दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

48. अतः अभियुक्तगण **1. महमूद** पुत्र सुमरदीन, **2. अंजुम उर्फ इंजुम** पुत्र सुमरदीन, **3. सुमरदीन** पुत्र सुबराती उर्फ सुन्ना, निवासीगण-बालोत नगर रामगढ, पुलिस थाना रामगढ, जिला अलवर (राजस्थान) को अपराध अंतर्गत धारा 306, 506 सपठित धारा 34 **भा.दं.सं.** के तहत **संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त** किया जाता है।

49 अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

50. प्रकरण में जब्तशुदा एक प्लास्टिक की रस्सी, दो हवाई चप्पल, कपडे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट की जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

51. निर्णय आज दिनांक 03-08-2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर